

उत्तर प्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3  
संख्या- 304 /60-3-15-3(15)/97टीसी  
लखनऊ: दिनांक: 03 मार्च, 2015

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल अधिसूचना संख्या-662/60-3-13-3 (15)/97 दिनांक 11 जुलाई, 2014 के अनुक्रम में श्री देवेन्द नाथ वर्मा, विशेष, महिला कल्याण विभाग, मनोनीत सदस्य/सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के स्थान पर श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उक्त बोर्ड में एतद्वारा मनोनीत सदस्य/सदस्य सचिव के रूप में नामित करते हैं।


2- श्री राज्यपाल, श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उक्त बोर्ड का सदस्य सचिव मनोनीत करते हुए उनमें आहरण एवं वितरण संबंधी अधिकारों का प्रतिनिधायन भी करते हैं।

शिवाकान्त द्विवेदी  
विशेष सचिव।

संख्या-304 (1)/60-3-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मा0 सदस्य, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के सूचनार्थ।
6. संयुक्त निदेशक/प्रभारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट, उ0 प्र0 के अगले अंक में विधायी परिशष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने और अधिसूचना की 100 प्रतियाँ महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने कराने का कष्ट करें। इस हेतु सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(नन्दलाल प्रसाद)  
उप सचिव।